International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197; Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 4; July 2017; Page No. 781-783

अठारहवीं शताब्दी के रुहेलखण्ड में रुहेला अफगानों का आर्थिक योगदान

सुधीर कुमार वर्मा

शोधार्थी, इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत।

प्रस्तावना

अठारहवीं शताब्दी के रुहेलखण्ड में रुहेला अफगानों के शासन की शुरूआत रुहेला सरदार दाउद खाँ से मानी जाती है जो 1712 ई. में अफगानिस्तान से कटेहर आया था। यहाँ पर उसने अपने सैनिक योगदान के बदले कुछ परगने मुगल जमींदार से प्राप्त किये थे, लगभग 1720–21 ई. में अल्मोड़ा के राजा देवी चन्द ने धोखे से उसका कत्ल कर दिया। उसके दत्तक पुत्र नवाब अली मोहम्मद खान ने कटेहर में अपनी सीमाओं का विस्तार किया और 1721 ई. से लेकर 1745 ई.तक शासन किया। इसके बाद रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान का युग आरंभ होता है और 1774 ई. के मीरनपुर कटरा के युद्ध से रुहेला शासन का अंत हो जाता है। 1774 ई. के बाद रुहेला शासन का विस्तार रामपुर के केवल नौ परगानों तक ही सीमित होकर रह जाता है, जहाँ पर नवाब फैजुल्ला खाँ के वंशजों ने 1949 ई. तक नवाबी की।

अगर हम रुहेलों का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखे तो पता चलता है कि रुहेलों का सारा शासन लड़ाईयों में गुजरा, जिसके कारण उन्हें अर्थव्यवस्था कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने का विशेष अवसर नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी उनके शासन काल में व्यापार–वाणिज्य एवं कला–संस्कृति की तरक्की देखने को मिलती है।

रुहेलखण्ड के भौगोलिक विस्तार के सन्दर्भ में देखे तो अठारवीं शताब्दी में रुहेलखण्ड एक अनियमित त्रिभुजाकार क्षेत्र में बसा हुआ था, जिसकी उत्तरी सीमा पर शिवालिक एवं कुमायूँ की पहाड़ियाँ और दक्षिण पूर्व में अवध का क्षेत्र आता है, इसकी पश्चिमी सीमा गंगा नदी द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार रुहेलखण्ड 300 मीटर के लम्बे एवं 150 किलोमीटर के चौड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत था। इस क्षेत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण शहरों एवं तत्त्वों का विस्तार था, जिनमें मुख्य रूप से आँवला, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूँ और शाहजहाँनपुर के जिले बसे हुए थे। इन्हीं नगरों में रुहेलों की आर्थिक गतिविधियाँ विशेष रूप से केन्द्रित थी।

प्रस्तुत शोध–पत्र में रुहेलों की आर्थिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें उसकी राजस्व व्यवस्था, कृषि व्यवस्था एवं व्यापार–वाणिज्य, क्षेत्र के कुछ उत्पादन केन्द्रों की चर्चा की जाएगी। समकालीन फ़ारसी विवरणों, सेटेलमेन्ट रिपोर्ट एवं डिस्ट्रिक गजेटियरस के तुलनात्मक अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त होती है कि 'रुहेलखण्ड में रुहेलों ने मुगल तौर तरीकों के आधार पर ही अपनी राजस्व व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए मुगल तर्ज पर 'दीवान' की नियुक्ति की परंतु इस व्यवस्था में गौर करने वाली बात यह थी कि रुहेलों ने अपने दिवान के रूप में हिन्दुओं को अधिक संख्या में नियुक्त किया, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार थे, दीवान पहाड़ सिंह, दीवान कान्हमल, विलास राय, जयमुख राय, किशन चंद, रूप राम, चैत राम प्रमुख थे।'[1] 'क्षेत्र में रुहेलों राजस्व वसूली के लिए इजारादारी या मुस्ताजिर की व्यवस्था को अपनाया, लेकिन सारी भूमि जमींदारों के नियंत्रण में नहीं थी, कुछ काश्तकार भी जमीन के मालिक होते थे।'[2]

जमीनों की राजस्व वसूली का अधिकार ज्यादा से ज्यादा बोली लगाने वाले जमींदारों को दी जाती थी परंतु रुहेला सरदार इस बात के लिए हमेशा सजग रहते थे और जमींदारों पर कड़ी नजर रखते थे कि वे कहीं ज्यादा वसूली के लिए काश्तकारों पर अत्याचार न करे।'[3] फ़ारसी स्रोतों से ज्ञात होता है कि 'इजारा व्यवस्था के अन्तर्गत ठेकेदारी की समयावधि अधिकतम दस वर्षों की होती थी। ठेका आबंटित करते समय इजारादार को एक लिखित कबूलियत नामा देना होता था, जिसमें कई शर्तें होती थीं। प्रथम रकम की अदायगी निर्धारित किस्तों में निर्धारित समय पर देनी होती थी। दूसरे काश्तकार के जान–माल के हिफ़ाजत एवं उसके साथ अच्छे बर्ताव की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। तीसरे कृषि में उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा। चौथे सभी प्रकार के हरे–भरे पेड़ पौधों की रक्षा की जाएगी और बिना अनुमति के वनों का विनाश नहीं किया जाएगा।'[4]

एक जमींदार को एक या एक से अधिक इजारादारी का आबंटन किया जा सकता था, इस स्थिति में संबंधित जमींदार की संयुक्त जिम्मेदारी होती थी। राजस्व की समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए जमींदारों पर जोर डाला जाता था और उनके विफल रहने पर उन पर जुर्माना लगाया जाता था, यह जुर्माना प्रति किसान के हिसाब से 50 रुपये तक भी होता था, जिसके भुगतान की जिम्मेदारी इजारेदार पर डाली जाती थी।

रुहेलखण्ड में रुहेला सरदारों की आमदनी के बारे में कोई विश्वसनीय रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। एक ब्रिटिश अधिकारी वेरलेस्ट के अनुसार 'हाफिज रहमत खान के अधिकृत क्षेत्रों की आमदनी 60 लाख रुपया सालाना थी और नजीब–उद–दौला की आमदनी लगभग 9 लाख रुपये थी।'[5] मीजाने दानिश के लेखक के अनुसार 'अहमद खान बंगश की सालाना आमदनी 30 लाख रुपये थी, वहीं हाफिज रहमत खान की एक करोड़ रुपया और दून्देखान के क्षेत्र की वसूली लगभग 40 लाख रुपये के बराबर थी।'[6] यद्यपि आरम्भ में रुहेला सरदारों के क्षेत्रा की आदमनी में वृद्धि हुई परंतु 1760 ई. के बाद उनके क्षेत्रों पर लगातार होने वाले मराठों, जाटों एवं सिक्खों के आक्रमणों के कारण उनकी आमदनी कम होती चली गई। इसके कारण न सिर्फ आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ा बल्कि क्षेत्र की उत्पादन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई। 'रुहेला सरदार भू–राजस्व वसूली के अतिरिक्त अपने क्षेत्रों से जकात नामक कर की वसूली भी करते थे, इसका भाग 1/4 या चवन्नी के रूप में होता था, एक अन्य कर की वसूली की जाती थी, जिसे राहदारी कर कहते थे। 1754 ई. में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान ने अपने क्षेत्र की कारोबारी तरक्की के लिए व्यापारियों को जकात एवं राहदरी कर से मुक्त कर दिया था।'[7]

किसी भी साम्राज्य की बुनियाद कृषि से होने वाली आमदनी होती है और लगान व्यवस्था के खराब होने पर साम्राज्य का पतन हो जाता है, यही कारण है कि जब साम्राज्य की आदमनी में कमी आयी तो मजबूत मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया। यह बात रुहेला अच्छी तरह से जानते थे इसलिए उन्होंने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया और व्यापार की तरक्की के लिए भी प्रयास किए। 'मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में सूबेदार अपनी जागीरों में न रहकर दिल्ली दरबार में रहना पसंद करते थे और अपनी जागीरों का प्रशासन अपने प्रतिनिधि नाईब के

माध्यम से करते थे। ये प्रतिनिधि क्षेत्र की उत्पादन व्यवस्था में वृद्धि के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली होता था। इसके विपरीत रुहेला सरदारों ने यहाँ पर जब से अपनी सत्ता स्थापित की तब से वे ग्रामीण जन जीवन से जुड़े रहे, उन्होंने स्थानीय कृषकों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को देखा और उनको दूर करने का प्रयास किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजस्व कर्मचारियों पर बराबर नजर बनाये रखी कि कही वे कृषकों पर राजस्व वसूली के दौरान अधिक वसूली या अत्याचार न करे।'[8]

रुहेला सरदार अपने नवस्थापित शासन को मजबूती प्रदान करने की उसकी आर्थिक आवश्यकताओं से भली–भाँति परिचित थे, इसलिए 'उन्होंने कृषि के विस्तार के लिए प्रयास किए, क्षेत्र की बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। काश्तकारों को आर्थिक मदद देकर उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। अठारहवीं शताब्दी के मध्य तक रुहेलखण्ड का मैदानी क्षेत्र अपने अधिक उपजाऊपन के लिए और अधिकाधिक उत्पादन के लिए जाना जाने लगा था। रुहेलों ने कृषि के साथ–साथ बागानी कृषि एवं पशुपालन पर भी विशेष जोर दिया। इसके लिए उन्होंने बाग लगाने एवं उपलब्ध वनों एवं वृक्षों के संरक्षण पर बल दिया। नजीब–उद–दौला ने 1768 ई. में अपने एक फरमान से सलाद गाँव को चौधरी गंगा सिंह को 100 बीघा जमीन दी थी क्योंकि वह खतौली परगने के इस क्षेत्र में बाग लगाना चाहता था।'[9]

इस समय क्षेत्र के किसानों की दशा का परिक्षण करते हैं तो क्षेत्र के कुछ फ़ारसी एवं अंग्रेजी स्रोतों के आधार पर किसानों की तीन श्रेणियाँ प्राप्त होती है। सेटन लो और बॉउल्डर्सन की बरेली सेटलमेन्ट रिपोर्ट में किसानों की तीन श्रेणियों की पहचान की गई। एक मुकद्दम, दूसरे रकमी और तीसरी असामी या साधारण किसान। पहली श्रेणी के किसानों की अलग–अलग जगहों पर मुकद्दम या महिता या प्रधान कहा जाता था, जिसका किसान वर्ग में विशेष स्थान होता था। मुगल काल से देखे तो रुहेलों के शासन तक यह वर्ग ग्रामीण किसानों में सर्वोच्च स्थान अवश्य रखता था परंतु गाँव का मालिक नहीं था, लेकिन अठारहवीं शताब्दी के अंत तक यह गाँव के मालिक की हैसियत के रूप में स्थापित होने लगा था। इन्हें किसानों का मुखिया माना जाता था, क्षेत्र के जमींदरों के बाद समाज में इनका ही स्थान आता था। जब रुहेलों ने यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कि तो इन मुकद्दमों को किसानों का प्रतिनिधि मान लिया गया।[10] 'जमींदार की ओर से मुकद्दम को उसकी सहायता एवं सेवा के बदले कई रियायते दी जाती थी या तो रुपये में एक आना या प्रति बीघा पर लगान नहीं लिया जाता था। आमतौर पर जो लगान रइयतों से वसूला जाता था, उसके तुलना में मुकद्दमों से दो हिस्से कम करके लगान की वसूली की जाती थी। ये रियायते मुकद्दमों को तब तक मिलती रहती थी, जब तक वे जमींदारों की सेवा करते थे, व्रिदोही प्रकृति पर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाती थी और उनकी रियायतें भी जब्त कर ली जाती थी।'[11]

दूसरी श्रेणी के किसान रकमी किसान कहे जाते थे। 'पीलीभीत, रिछा और जहानाबाद की सेटलमेन्ट रिपोर्टों में इनका उल्लेख रईस असामी के रूप में प्राप्त होता है। इनके सामाजिक स्तर एवं आर्थिक हैसियत से इनको साधारण असामी से थोड़ा ऊपर स्थान दिया जाता था इसके अनुसार ही लगान वसूली में इनको भी रियायते प्राप्त होती है और उपज का तीसरा हिस्सा लगान वसूली के रूप में इनसे लिया जाता था। उनसे गाँव खर्च जैसे कर नहीं वसूले जाते थे। इन समूहों में अधिकतर हिन्दू समाज के उच्च वर्गों का प्रभुत्व था और हिन्दू ब्राह्मणों को इन्हीं गाँवों में अधिकतर मान्यता प्राप्त होती थी। हिन्दू ब्राह्मणों की तरह ही रुहेला उलेमाओ, सूफी और सैय्यदों को गाँवों में माफी की जमीने दी जाती थी। रुहेला सरदारों के समय इस प्रकार की रियायत देना आम बात थी।'[12] फ्रेंकिलन की फरवरी 1816 ई. की मालिकों या पट्टेदारों या असामियों की पट्टे की निर्धारित अवधि से पहले उनको बेदखल नहीं किया जाता था, बल्कि लगान अदायगी पर पुराने पट्टेदारों को ही बहाल कर दिया जाता था।[13] किसानों की तीसरी श्रेणी के बारे में बाउल्डर ने अपनी 1834 ई. की रिपोर्ट में बताया कि 'एक साधारण किसानों को असामी कहा जाता था। इसकी दो श्रेणियाँ होती थी, एक साधारण असामी, दूसरी खुदकाश्त असामी। खुदकाश्त असामी बड़े किसानों की श्रेणी में आते थे और साधारण असामी से अपनी कृषि–श्रमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। खुदकाश्त असामी गाँवों में जमींदार की हैसियत रखते थे, इनके पास ही गाँवों की अधिकांश भूमि एवं संपत्तियाँ होती थी। साधारण असामी की हैसयित मजदूरों की तरह होती थी वे बड़े किसानों के यहाँ बटाई या कृषक मजदूर के रूप में उनके खेतों में काम करते थे।'[14]

अब अगर रुहेलखण्ड क्षेत्र की भूमि मालिकाना स्थिति पर चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि 'इसके लिए जिलों को कई परगनों में विभाजित किया गया था, साथ ही परगनों को भी कई टुकड़ों में तोड़ा जाता था, इन टुकड़ों में कई गाँवों के समूह होते थे जिसे 'लम्बर' कहा जाता था 'लम्बर' नम्बर की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसे रुहेला युग में लम्बर कहा जाने लगा था और इसको धारण करने वाले किसानों को लम्बरदार कहा जाता था। लम्बर एक प्रकार की पट्टा व्यवस्था थी, जिसको एक निश्चित सीमा के लिए आबंटित किया जाता था और उसकी मुद्दत समाप्त होने पर इस पर क्षेत्र की तहसील का नियंत्रण हो जाता था, जिसे पुनः नीलामी या इजारा व्यवस्था से आबंटित कर दिया जाता था। प्रत्येक नीलामी के लिए इजारेदार को जमानत के रूप में कुछ रकम या संपत्ति जैसे मकान, बाग या जेवरात आदि किसी महाजन के पास रखने होते थे।'[15] बरेली सेटलमेन्ट रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त होती है कि बहुत से काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना हक भी प्राप्त था। ब्रिटिश राजस्व अधिकारी सीटन ने 1803 ई. में लिखा कि 'बिलासपुर, रिछा, जहानावाद, पीलीभीत और फरीदपुर के जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त थे।'[16] इसी तरह 'परगना नवाबगंज के गाँव अहमदाबाद के कुर्मी जमींदार, परगना बरेली के गाँव नवादा के शेख जमींदारों को 1745 ई. से 1749 ई. से मालिकाना हक प्राप्त थे।'[17] यह भी पता चलता है कि 'सिरसावा के कठेरिया राजपूतों को रुहेलों के यहाँ पर स्थापित होने से पहले से ही भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त थे, जिला बरेली के लगभग 462 गाँव ऐसे थे, जहाँ पर जमींदारों के भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त थे, शाहजहाँनपुर में भी बहुत से जमींदार थे, जिन्हें भूमि पर मालिकाना अधिकार थे।'[18]

1774 ई. में रुहेला युद्ध के बाद फ्रेंकिलन जोकि इस युद्ध में ब्रिटिश सैन्य कमाण्डर था, उसने रुहेला क्षेत्रों का दौरा किया। वह लिखता है कि 'हाफ़िज रहमत खान की राजधानी पीलीभीति में एक बड़ी मंडी (बाजार) थी, जो एक विशाल शॉपिंग मॉल की तरह थी। हाफिज रहमत ने पीलीभीत के चारों तरफ चार मील के घेरे पर शहर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया, जो व्यापारिक सुरक्षा के लिहाज से विशेष महत्त्व रखती थी। पीलीभीति की मंडी साल, सनोवर, सागोन और अन्य प्रकार की कीमती लकड़ी के लिए विख्यात थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शक्कर, तम्बाकू, गाठा, सुहागा, लाख, शहद आदि वस्तुओं का भी व्यापार तरक्की पर था। यहाँ पर व्यापारियों का लगातार आना जाना बना रहता था।'[19]

'रुहेलों ने रुहेलखण्ड के बहुत से शहरों को व्यापारिक केन्द्र बना दिया था, जिनमें शहाबाद, शाहजहाँनपुर, बरेली, बदायूँ, आँवला, मुरादाबाद, सम्भल बिसौली उस समय के विशेष व्यापारिक केन्द्र थे। यहाँ के उत्पाद पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर थे। इन शहरों में देश के अन्य क्षेत्रों के व्यापारी एवं विदेशी व्यापारियों का लगातार आना–जाना बना रहता था। लाहौर, काबुल, कश्मीर, कंधार और ईरान के व्यापारी यहाँ पर कीमती नगीने, पत्थर, पीतल, लोहा, टीन, रांगा और दवायें, कश्मीरी शाल, ऊन, खच्चर, घोड़े इत्यादि

बेचने के लिए लाते थे।'[20] रुहेलों ने स्वयं भी इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों में भाग लिया, वे हथियार रखने एवं घोड़े रखने के विशेष शौकीन थे एवं उनके विकास में भी उन्होंने रुचि दिखाई। 'रुहेलखण्ड के कई कस्बे विशेषकर रामपुर, बरेली, आँवला, तलवार और चादर बनाने के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। रुहेला पशुपालन में भी रुचि ले रहे थे, उन्होंने घोड़ों के पालन एवं उनके व्यापार पर विशेष बल दिया, घोड़ों की परवरिश करना, उनकी नस्लों का विकास करना चरागाहों की तलाश करना, घोड़ों की बीमारियों का इलाज करना आदि की उन्हें विशेष जानकारी थी, जिसका यहाँ पर कोई मुकाबला करने वाला नहीं था।'[21]

जब रुहेलों ने यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उन्होंने 'गढ़वाल एवं कुमायूँ क तराई इलाके में अपने घोड़ों के पालन पर बल दिया यहाँ पर उन्होंने चरागाहों की तलाश की जो घोड़ों की सेहत एवं परवरिश की लिहाज से काफी अच्छी थी। पहाड़ी क्षेत्रों से आने के कारण वे वहाँ की घास एवं जड़ी–बूटियों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इस क्षेत्र के घोड़े व्यापार की लोकप्रियता कहीं–न–कहीं 1949 ई. तक रामपुर रियासत में बनी रही। नवाब अली मोहम्मद खान के पुत्र फैजुल्ला खाँ ने रामपुर में घोड़ों एवं अन्य पशुओं विशेषकर, गाय, बैल और भैंस की परवरिश पर विशेष ध्यान दिया रामपुर रियासत में पशुपालन के लिए एक वर्ग का विकास हो गया था।'[22]

इस समय रुहेलखण्ड की कुछ व्यापारिक केन्द्रों की गतिविधियों का परीक्षण करते है तो पता चलता कि पीलीभीति, रामपुर के अतिरिक्त शाहजहाँनपुर, सहारनपुर, बरेली भी महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थे। 'शाहजहाँनपुर में अच्छे किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, यहाँ का छींट, बारीक बूटेदार कपड़ा काफी प्रसिद्ध था। बेंत उद्योग, पटसन की चटाई बनाना, यहाँ की आर्थिक गतिविधियों में शामिल था, यहाँ पर अच्छे किस्म के बर्तन भी बनाये जाते थे, बर्तनों पर कलई चढ़ाना, नक्काशी करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसी प्रकार सहारनपुर लकड़ी के काम के लिए जाना जाता था, नजीबाबाद कीमती फर्नीचर एवं लकड़ी की नक्काशी का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था।'[23] 'बरेली, रामपुर, आँवला का क्षेत्र, शीशा और कांच की चूड़ियाँ, जेवरात बनाने के लिए जाना जाता था। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने एवं उनका प्रशिक्षण देने के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। कालीन उद्योग, दरियाँ एवं शाल बनाने के लिए भी ये केन्द्र जाने जाते थे। नवाबों और महाजनों की माँगों के अनुसार यहाँ पर सोने के जेवरात बनाने, तलवार, चाकू जैसे हथियार, टोपी, सरोता, बीड़ी, माचिस बनाने जैसे उद्योग की तरक्की पर थे।'[24]

इस प्रकार उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि अठारहवीं शताब्दी के रुहेलखण्ड में रुहेला अफगानों ने यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके विकास में स्वयं भी भागीदारी की। उन्होंने उच्च स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर स्थानीय स्तर पर छोटी–छोटी आर्थिक गतिविधियों को भी एक सुव्यवस्थित आधार देने का प्रयास किया। रुहेलों के शासन में रुहेलखण्ड अपनी आर्थिक उन्नति के उच्च शिखर पर था, यहाँ के उत्पाद हिन्दुस्तान के साथ विदेशों भी लोकप्रिय थे परंतु 1774 ई. के बाद ब्रिटिश कंपनी एवं अवध की लूटपाट ने इन क्षेत्र की उत्पादन व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसके कारण रुहेलखण्ड का आर्थिक अवसान हुआ।

References

1. F.H. Fisher (Ed.), Statistical Descriptive and Historical Account of North Western Provinces of India, Vol.-IX, Allahabad, Oudh Govt. Press, 1883, pp. 28-29.
2. F.H. Fisher (Ed.), Statistical Descriptive and Historical Account of North Western Provinces of India, Vol.-IX, Allahabad, Oudh Govt. Press, 1883, p. 29.
3. Ibid, pp. 29-31.
4. Edward Atkinson, Statistical Descriptive and Historical Account of North West Provinces of India Vol.-V, Allahabad, North West Provinces Press, 1879, p. 8.
5. Verelst's Reports, Letters to the Court of Directors 28th March, 1767.
6. Iqbal Husain, The Rise and Decline of the Ruhela Chieftaincess, p. 195, Quoted Mizan-i-Danish, p. 36.
7. Charles Elliott, The Life of Hafizool-Moolk, Hafiz Rehmutkhan, p. 14.
8. नफीज सिद्दीकी, रोहेला इतिहास : इतिहास एवं संस्कृति, बरेली, 2005, pp. 468.69.
9. वही, पृष्ठ 469.
10. Seton Low & Boulderson, Bareilly Settlement Report, Bareilly, 1874, pp. 111-112.
11. Ibid, p. 112.
12. Seton Low & Boulderson, Bareilly Settlement Report, Bareilly, 1874, pp. 112-114.
13. Ibid, pp. 114-115.
14. Seton Low & Boulderson, Bareilly Settlement Report, Bareilly, 1874, pp. 110-125
15. F.H. Fisher, Vol.-IX, p. 30.
16. Seton Low & Boulderson, Bareilly Settlement Report, 1874, p. 132.
17. H.R. Nevill, Gazetteer of Barilly District Vol.-XIII, Provinces of Agra and Oudh, the Superitendent Government Press, United Provinces, Allahabad, 1907, p. 101.
18. F.H. Fisher, Vol.-IX pp. 119-120.
19. Iqbal Husain, p.203, Quoted Franklin, History of Shah Aulam, p. 58.
20. Iqbal Husain, Quoted Franklin, History of Shah Aulam, pp. 203-204.
21. Ibid, p. 204.
22. H.R. Nevill, Gazetteer of Rampur State, Government Printing Press United Provinces, Allahabad, 1911, p. 62.
23. F.H. Fisher, Vol. IX, p. 81.
24. Ibid, p. 343.